

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर

प्रार्थीगण

अप्रार्थीगण

जगदीश पुत्र गोरुराम जाति मेघवाल
निवासी पालड़ी

1.बोदूराम पुत्र भोदूराम मेघवाल वगैरह
निवासी पालड़ी

AL
3

प्रार्थना -पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212R.T.Act

राजस्व प्रार्थना-पत्र मु.नं 34/2015

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इन हुकम की तारीख में जारी हुए
07.07.15	<p>प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना -पत्र अन्तर्गत बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212R.T.Act के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया । प्रार्थना -पत्र दर्ज रजिस्टर हो । प्रार्थी वकील के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गई । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया मामला,सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है । अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक 24.07.2015 तक इस अण्य की जारी की जाती है कि ग्राम पालड़ी के खसरा नम्बर 29, 40 219 में अप्रार्थी संख्या 1 बेचान हस्तान्तरण इत्यादि नही करे तथा अप्रार्थी संख्या 7 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा अप्रार्थी संख्या 6 दस्तावेज का पंजियन स्वीकार नही करे अप्रार्थीगण जरिये नोटीस तलब हो । पत्रावली दिनांक 24.07.2015 को पेश हो ।</p>	
24/7	<p style="text-align: right; color: blue;"> उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कुचामन सिटी (नागौर) </p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;"> प्रार्थीगण को नोटीस जेम्स के बेटे पञ्जापुत्र राजीराम के समूह द्वारा खसरा नं. 29, 40, 219 को बेचने के लिए नोटीस जारी की जा रही है। </p>	
18/7/15	<p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;"> प्रार्थीगण को नोटीस जारी की जा रही है कि प्रार्थना-पत्र के निवेदन के अन्तर्गत प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र को दर्ज नहीं करवाया गया है। प्रार्थीगण को नोटीस जारी की जा रही है कि प्रार्थना-पत्र को दर्ज करवाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र को दर्ज करवाकर प्रार्थीगण को नोटीस जारी की जा रही है। प्रार्थीगण को नोटीस जारी की जा रही है। प्रार्थीगण को नोटीस जारी की जा रही है। प्रार्थीगण को नोटीस जारी की जा रही है। </p>	

18/7/15

अ.नं. 34/2015

उपखण्ड अधिकारी
 एवं पदेन सहायक कलक्टर
 कुचामन सिटी (नागौर)